फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

श्रीमति रामकन्या [illegible] बनाम श्री [illegible] लाल अहीर

धारा .....53..... वाद / प्रा0प0 / अपील प्र0सं0 27 / 15

12/6/15 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जरिये तलवाना विपक्षीगणों की तलबी की जायें। पत्रावली दिनांक 22-6-15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाड़ा

22/6/15 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी अवकाश पर। पत्रावली सहायक आदेश में दिनांक 27/8/15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

27/8/15 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में। पत्रावली सहायक आदेश दिनांक 26/10/15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

26/10/15 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में। पत्रावली सहायक आदेश दिनांक 15/12/15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

15/12/15 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में। पत्रावली सहायक आदेश दिनांक 23/2/16 को पेश हो।

आदेश से रीडर

23.2.2016 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त अवकाश में। पत्रावली सहायक आदेश दिनांक 3.5.2016 को पेश हो।

आदेश से रीडर

प्रकरण सं. .....

उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 के सम्मन वास्ते तलबी पेश नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 की तलबी हेतु दिनांक 27/10/25 को पेश हो। 24/9/25
27/10/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 की तलबी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद सही मकूलत के साथ सम्मन तलबाने पेश नहीं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सही मकूलत के साथ सम्मन तलबाने पेश नहीं किये जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 वा. दीवानी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। 27/10/25

सहायक कलक्टर
बीलवाड़ा